महत्वपूर्ण एवं खास

मात्स्यिकी पॉलीटेक्निक के छात्राओं को निवास के लिए मिलेगा महिला छात्रावास

दुर्ग (आरएनएस)। मात्स्यिकी पॉलीटेक्निक राजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार दूर-दराज से पढने आये छात्राओं को मात्स्यिकी पॉलीटेक्निक कॉलेज में अब निवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। उनके निवास हेतु धमधा नगर में मकान को महिला छात्रावास के लिए किराए पर लिया गया है। उक्त भवन का मासिक किराया शासकीय नियमानुसार दिया जाएगा।

आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति किए गए जिला बदर

कांकेर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने राम नगर कांकेर निवासी आशीष सारथी (24 वर्ष), पिता अशोक सारथी और विक्रम सारथी पिता करण सारथी (28 वर्ष) को एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। विभिन्न गम्भीर आपराधिक प्रकरणों में उक्त दोनों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5, 6, के तहत पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिणामस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छ.ग. रा.सु.अ 1990 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें कांकेर जिले की राजस्व सीमाओं तथा सीमावर्ती जिला कोण्डागांव, धमतरी, बालोद, नारायणपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि (17 अक्टूबर 2024 तक) के लिए जिला बदर किया गया है।

कटघोरा पुलिस को वाहन चेंकिग के दौरान मिला 2 लाख नगद

कोरबा (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा जितेन्द्र शुक्ला भापुसे के द्वारा अगामी विधानसभा चुनाव के मददेनजर अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु दिशानिर्देश एवम मार्गदर्शन दिए गए थे जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा अभिषेक वर्मा ए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटघोरा पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तेज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 18/10/2023 को टोल प्लाजा मदनपुर रजकम्मा के सामने वाहन चेंकिंग के दौरान दिलीप अग्रवाल पिता राम विलास अग्रवाल उम्र 54 साल साकिन वार्ड क्रमांक 07 अम्बिकापुर रोड कटघोरा थाना कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. के द्वारा मोटर सायकल सीजी 12 बीडी 0549 के थैला में नगदी रकम 200000 दो लाख रूपये को परिवहन करते बरामद कर रकम के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने पर उक्त रकम को 102 जाफी के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही किया गया है आगामी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने लगातार चेकिंग की जा रही है

मतदान की अपील करने बिटिया आग्रह टोली घर-घर दे रही दस्तक

कांकेर (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाकर 02 अगस्त 2023 से नवीन मतदाताओं के नाम जोडने के साथ-साथ सूची अद्यतन की गई। इसके अंतर्गत जिले में विशेष पहल करते हुए जिले के अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कांकेर विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 हजार 501 किशोरी बालिकाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में जिले में बिटिया आग्रह टोली का गठन किया गया है जिनके द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं से वोट करने की अपील की जा रही है, कि 07 नवम्बर को वोट देने मतदान केन्द्र अवश्य जाएं। साथ ही मतदान के महत्व के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान मतदाताओं से अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प भी लिया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिले में ऐसी 20 बिटिया आग्रह टोली गठित की गई है जो विशेष तौर पर उन मतदान केंद्र के निवासरत मतदाताओं को फोकस कर रही है।

विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सार्वजनिक अवकाशों और माह के चौथे शनिवार को नहीं होगा नाम निर्देशन

- नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों की होगी अनुमति
- रिटर्निंग अफसरों ने सीखीं नाम निर्देशन की बारिकियां, मिला प्रशिक्षण

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सातों विधानसभाओं की नाम निर्देशन प्रक्रियां 21 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो जाएगी। आज रेडक्रास सभाकक्ष में नाम निर्देशन संबंधी, प्रशिक्षण में सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जरूरी प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने सभी अधिकारियों को नाम निर्देशन के लिए जरूरी सारी व्यवस्थाएं 20 तारीख तक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दूसरी चरण में रायपुर जिले की सात विधानसभाओं में 21 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। सार्वजनिक अवकाशों वाले दिनो और माह के चौथे शनिवार को नाम निर्देशन कार्य नही होगा। इस हिसाब से 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नाम निर्देशन की कार्रवाई नही होगी। जिले में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन हेतु

प्रारुप-2 ख तथा प्रारुप 26 शपथ पत्र प्रदान किया जाना है।

रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में मास्टर टेऊनर ने बताया कि नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी एवं अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी। सर्वप्रथम अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते है तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। नाम निर्देशन पत्र पर तत्काल क्रम संख्या, दिनांक व समय लिखें और आरओ, एआरओ विधानसभा संख्या तथा विधानसभा का नाम लिखकर हस्ताक्षर करेंगे। एक अभ्यर्थी अधिकतम दो विधानसभा क्षेत्रों में नाम निर्देशन कर सकेगा।

मास्टर ट्रेनर ने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ स्वयं की 2'2.5 से.मी. आकार की नवीनतम टिकट साइज फोटो जमा करनी होगी, चेहरा स्पष्ट एवं सामने का व्यू हो तथा गहरे रंग का चश्मा न हो। ब्लेक एण्ड व्हाईट या कलर, आंखे खुली, चेहरे पर सामान्य भाव, बैकग्राउण्ड सफेद तथा ऑफ व्हाइट, सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। फोटो की दूसरी तरफ अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए, यह फोटो बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होगी। साथ ही निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र भरेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के कम से कम एक दिन पूर्व नया बैंक खाता खोलना होगा एवं पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा उसका नंबर नाम निर्देशन भरते समय देना होगा। प्रशिक्षण में संवीक्षा, नाम वापसी एव ंप्रतीक आबंटन की बारे में भी जानकारी दी गई। 31 अक्टूबर 2023 को अभ्यर्थियों को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। साथ ही संवीक्षा प्रक्रिया की पूरी विडियोग्राफी भी की जाएगी।

रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि 02 नवंबर को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते है। नाम वापस लेने के प्रत्येक सूचना आरओ को अभ्यर्थी या उसके प्रस्ताव या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावक निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में रुप में प्राधिकृत करना होगा, अन्यथा नाम वापसी मान्य नहीं होगी। नाम वापसी के लिए निर्धारित प्रारुप-5 है। प्रशिक्षण मे रिटर्निंग अधिकारियों को नाम निर्देशन दस्तावेजीकरण सहित निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अधिकारियों को दी गई।

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को रोकने सतत कार्यवाई जारी

- आबकारी विभाग द्वारा अब तक 77 हजार रूपए मूल्य के 192 लीटर मदिरा किया गया जब्त
- सम्पत्ति विरूपण के तहत 75 हजार 450 पोस्टर, बैनर हटाए गए
- कंट्रोल रूम और सी-विजिल एप्प से अब तक कुल 80 शिकायतें प्राप्त

महासमुंद (आरएनएस)। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए 09 अक्टूबर को कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। जो निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के निर्देशानुसार जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए निगरानी दलों द्वारा तथा कंट्रोल रूम और सी-विजिल एप्प के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तारीख से 18 अक्टूबर तक अवैध शराब तथा वस्तुओं के परिवहन पर निगरानी करते हुए जिला आबकारी विभाग की टीम द्वारा 22 छापे मारे गए है। जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा टीम बनाकर अवैध शराब के संदिग्ध बिक्री और परिवहन पर छापा मार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक देशी मदिरा 168.58 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 64,120 रुपए, विदेशी मदिरा 19.59 बल्क लीटर, बाजार मूल्य 12,420 रुपए एवं महुआ शराब 4.5 बल्क लीटर, बाजार मूल्य 700 रुपए, इस प्रकार कुल देशी/विदेशी मदिरा 192.67 बल्क लीटर जप्त किया गया है। जिसका बाजार मूल्य 77,240 रुपए है। इसी प्रकार टेमरी एवं खम्हारपाली में स्थापित जांच चौकी में आबकारी विभाग के टीम द्वारा टेमरी में 804 वाहनों एवं खम्हारपाली में 867 वाहनों कुल 1671 वाहनों की जांच की गई है। इस दौरान एक दो पहिया वाहन जप्त किया गया है।

इसी तरह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और शिकायतों के मामले में भी कंट्रोल रूम तथा सी-विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। एमसीसी के नोडल अधिकारी एस.के. टंडन ने बताया कि 19 अक्टूबर तक की स्थिति में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय परिसंपत्तियों पर कुल 28,159, निजी परिसंपत्तियों पर कुल 47,291 पोस्टर, बैनर तथा निर्वाचन से संबंधित सामग्रियां हटाया गया है। कंट्रोल रूम के नम्बर 07723-223305 पर एक शिकायत प्राप्त हुई है। इसी तरह 1950 नम्बर पर फोटो परिचय पत्र से संबंधित 70 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसके निराकरण के लिए संबंधित ईआरओ को भेजा गया है। इसी तरह सी-विजिल एप्प से तीन शिकायत व अन्य एप्प से 06 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसके अंतिम निराकरण के लिए संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई है।

आईआईटी भिलाई और डीएएडी जर्मनी ने संकाय आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और डीएएडी (ष्ठूरष्ठ) जर्मनी (जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस) ने आईआईटी भिलाई और जर्मनी के बीच संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली में जर्मन एम्बेसी में आयोजित किया गया था, जहां आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के संकाय प्रभारी डॉ. रुकमणकेश और डीएएडी (ष्ठूरष्ठ) के उप महासचिव डॉ. माइकल हाम्प्स ने आईआईटी भिलाई और प्रतिष्ठित जर्मन उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संकाय विनिमय कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए औपचारिक रूप से एमओयू दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। डीएएडी (ष्ठूरष्ठ) और आईआईटी भिलाई आपसी वैज्ञानिक हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच अकादमिक और वैज्ञानिक सहयोग के पारस्परिक लाभ को पहचान रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रख रहे हैं। डीएएडी (ष्ठूरष्ठ) और आईआईटी भिलाई के बीच द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य उनके और जर्मन विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाला शिक्षक निलंबित

- मतदान अधिकारी क्रमांक -1 के प्रशिक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना व बिना अनुमति अनुपस्थित रहे शिक्षक

महासमुंद (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षक नरेश बारीक को निलंबित कर दिया है। विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत नरेश बारीक, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहदा विकासखंड सरायपाली की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 रूप में लगाई गई थी। नरेश बारीक शिक्षक मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 को प्रशिक्षण स्थल आई.ई.एम.बी.एच. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुटेला में मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण में बिना किसी पूर्व सूचना तथा अनुमति के अनुपस्थित रहे। नरेश बारीक का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है। जो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत नरेश बारीक शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहदा को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नरेश बारीक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया है। नरेश बारीक शिक्षक को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली में दो अलग-अलग वाहनों में एक क्विंटल वजनी एल्युमीनियम के बर्तन और 3 लाख रूपए नगद बरामद

- विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर परिवहन चेकपोस्टों पर वाहनों का सघन चेकिंग अभियान जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिवहन चेकपोस्टों पर वाहनों में ले जाने वाले सामानों के दुरूपयोग के रोकथाम हेतु नियमित रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत् 19 अक्टूबर 2023 को रात्रिकालीन जांच के दौरान महासमुन्द जिले के खम्हारपाली चेकपोस्ट में परिवहन विभाग की टीम द्वारा निजी वाहन ओडी-15-एफ-7092 में 500 रूपए नोट के 6 बंडल कुल 3 लाख रूपए ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान वाहन चालक सैयद शोएब अली, निवासी मायाबगीचा, संबलपुर तथा उनके सहयोगी मो. इरफान निवासी स्कूल चौक, पेंशनबाड़ा, संबलपुर द्वारा उक्त राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

इसी तरह खम्हारपाली चेकपोस्ट अंतर्गत छुईपाली में 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जांच के दौरान उक्त टीम द्वारा बसना निवासी ज्योति प्रकाश अग्रवाल के वाहन क्रमांक सीजी 06 जीजी 1308 में 99.6 किलोग्राम वजनी एल्युमीनियम के बर्तन को वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने के कारण बरामद किया गया।

आगामी विधानसभा निर्वाचन में उक्त राशि तथा सामानों के दुरूपयोग की आशंका के मद्देनजर दोनों मामलों में आगे की कार्यवाही हेतु थाना-बसना, जिला- महासमुन्द (छ.ग.) के सुपुर्दगी में दिया गया है।

गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लगातार वाहनों की सघन जांच एवं कार्यवाही की जा रही है।

पंचमी के अवसर पर माता का हुआ विशेष श्रृंगार

रायपुर (आरएनएस)। नवरात्रि के आज पांचवे दिन देवी भगवती के स्कंद माता रूप की पूजा बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ किया जा रहा है। पंचमी के अवसर पर आज माता का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। देवी मंदिरों के अलावा चौक-चौराहों में विराजित मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है।

स्कंद माता :

भगवान कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसी के चलते नौ दुर्गा के एक रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि स्कंदमाता की पूजा-आराधना से सद्कामनाएं

जहां पूर्ण होती है तो वहीं मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। आज पंचमी पर स्कंद माता की पूजा सफेद वस्त्र पहनकर की जानी चाहिए। इस दौरान माता को खीर का भोग लगाना चाहिए।

मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड :

आज नवरात्रि के पंचमी के अवसर पर देवी मंदिरों और देवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमडने लगी थी। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों माहामाया माता मंदिर, कंकाली माता मंदिर, शीतला माता मंदिर, समलेश्वरी, दंतेश्वरी, काली माता मंदिर, बंजारी माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। वहीं शहर के चौक-चौराहों में स्थापित मां की भव्य प्रतिमाओं का दर्शन करने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शहर में इस वर्ष करीब 100 से अधिक स्थानों पर माता की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहां सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।

हजारों की संख्या में जल रहे आस्था के जोत :

नवरात्रि के अवसर पर शहर के देवी मंदिरों के अलावा अन्य देवालयों में हजारों की संख्या में आस्था के जोत जल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार शहर के देवी मंदिरों में ही हजारों की संख्या में जोत प्रज्जवलित किया गया है। इसके अलावा अन्य देवालयों व धार्मिक स्थानों के अलावा चौक-चौराहों के पंडालों में तथा घरों में बोए गए जोत-जंवारा के साथ भी आस्था के सैकड़ों जोत जगमगा रहे हैं।

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने मतदाता जागरूकता के स्वीप मैराथन, सुपर रील्स एवं शार्ट वीडियो प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में जिले में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मतदाताओं को जागरुक करने हेतु स्वीप मैराथन, सुपर रील्स एवं शार्ट वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उक्त प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ सिद्दीकी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह के द्वारा पुरुस्कृत किया गया

एवं साथ ही उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हुए आगामी लोकसभा निर्वाचन में भी स्वीप अंतर्गत ऐसे ही मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में होने वाले आयोजनों में रचनात्मक ढंग से कार्य करने को कहा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज एवं स्वीप नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान उपस्थित थे।

ये प्रतिभागी हुए सम्मानित

स्वीप मैराथन प्रतियोगिता पुरूष वर्ग ओपन दौड़ में प्रथम स्थान पर किशन लाल कोसरिया, द्वितीय स्थान पर अजय मनहर एवं तृतीय स्थान पर इन्द्रजीत रहे। पुरूष वर्ग स्कूल से तीनों स्थान सेंट थामस स्कूल सारंगढ़ के छात्रों ने जीत हासिल किया था, जिनमें प्रथम स्थान पर सेमोन लकड़ा, द्वितीय स्थान पर रोशन कौशिक, तृतीय स्थान पर जयप्रकाश रहे। महिला वर्ग ओपन में झरना साहू, द्वितीन स्थान पर अमृता टंडन विजयी हुई। महिला वर्ग स्कूल से लीना साहू ने प्रथम, पिंकी रात्रे ने द्वितीय एवं रोशनी सिदार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शॉर्ट वीडियो और सुपर रील्स प्रतियोगिता अंतर्गत शॉर्ट वीडियो श्रेणी में रूकमणी जांगड़े प्रथम, बिहान चौहान द्वितीय एवं संदीप जोल्हे तृतीय स्थान पर रहे। इसी क्रम में सुपर रील्स प्रतियोगिता में संदीप जोल्हे प्रथम, उदय जायसवाल द्वितीय एवं जयलक्ष्मी पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के द्वारा सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU